डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री जगदीष नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 39/16 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2016/00273

उनवान

1. लता पत्नी भगवान सिंह (मृतक)
   1/1. कमलेश पुत्री लता पत्नी किशन सिंह
   1/2. आशा पुत्री लता पत्नी प्रमोद कुमार
   1/3. मनोज कुमार पुत्र भगवान सिंह
   } जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलांट।

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल (मृतक)
   1/1. वीरमती देवी वेवा गजेन्द्र सिंह
   1/2. हितेष सैनी पुत्र गजेन्द्र सिंह
   } जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।
   1/3. काजल
   1/4. भावेश
   } पुत्रीयान गजेन्द्र सिंह नाबालिग व विलायत माता वीरवती देवी खुद जाति माली निवासी पक्का बाग भरतपुर।
2. चिरोजा देवी पत्नी रामजीलाल
3. मीना पत्नी टीकम पुत्री रामजीलाल
4. मीरा पत्नी कुमर सिंह पुत्री रामजीलाल
   } जाति माली नि0 पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।
5. मुन्नी पत्नी विष्णु पुत्री रामजीलाल जाति माली निवासी महावीर जी तहसील हिण्डौन जिला करौली।
6. प्रेमवती पुत्री रामजीलाल जाति माली निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

7. रामकटोरी पत्नी हरीकिशन जाति धोबी निवासी गॉवडी हाल निवासी भीतरवाडी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. पवनदेई पत्नी हरीकिशन जाति धोबी निवासी भीतरवाडी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
9. मुकेश पुत्र रामचरन जाति जाटव निवासी विकास नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
10. बृजमोहन पुत्र श्री नारायन सिंह जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
12. भारत पुत्र भगवान सिंह जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 14.03.2016 मि.नं. 121/10 उनवानी गजेन्द्र सिंह बनाम लता।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश चन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री रमनलाल मित्तल उपस्थित।

यह अपील .25.....माह.....01.....सन्...2024.....व हमारे दिनेश चन्द शर्मा एड..... मिनजानिब अपीलाण्ट व़ श्री रमनलाल मिततल एड.....रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेष होकर यह हुक्म है कि... है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2016 अपास्त किये जाते हैं। (खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये..... .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....25.....माह.....01.....सन्.....2024.....को जारी की

25/01/2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 39/16 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2016/00273

उनवान

1. लता पत्नी भगवान सिंह (मृतक)
   1/1. कमलेश पुत्री लता पत्नी किशन सिंह
   1/2. आशा पुत्री लता पत्नी प्रमोद कुमार
   1/3. मनोज कुमार पुत्र भगवान सिंह
   } जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलांट।

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल (मृतक)
   1/1. वीरमती देवी वेवा गजेन्द्र सिंह
   1/2. हितेष सैनी पुत्र गजेन्द्र सिंह
   } जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।
   1/3. काजल
   1/4. भावेश
   } पुत्रीयान गजेन्द्र सिंह नाबालिग व विलायत माता वीरवती देवी खुद जाति माली निवासी पक्का बाग भरतपुर।
2. चिरोजा देवी पत्नी रामजीलाल
3. मीना पत्नी टीकम पुत्री रामजीलाल
4. मीरा पत्नी कुमर सिंह पुत्री रामजीलाल
   } जाति माली नि0 पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।
5. मुन्नी पत्नी विष्णु पुत्री रामजीलाल जाति माली निवासी महावीर जी तहसील हिण्डौन जिला करौली।
6. प्रेमवती पुत्री रामजीलाल जाति माली निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

7. रामकटोरी पत्नी हरीकिशन जाति धोबी निवासी गॉवडी हाल निवासी भीतरवाडी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. पवनदेई पत्नी हरीकिशन जाति धोबी निवासी भीतरवाडी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
9. मुकेश पुत्र रामचरन जाति जाटव निवासी विकास नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
10. बृजमोहन पुत्र श्री नारायन सिंह जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
12. भारत पुत्र भगवान सिंह जाति मीना निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 14.03.2016 मि.नं. 121/10 उनवानी गजेन्द्र सिंह बनाम लता।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश चन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री रमनलाल मित्तल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–25.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 6 ने ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण तरतीवी रैस्पो0 व अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 2880 रकवा 01 बीघा 6 विस्वा से मुताबिक मौका नक्शा गत व हाल अनुसार वास्तव में हाल खसरा नम्बर 2613/0.31 है0 बना है जिसके 0.21 है पर वादीगण रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 06 गत 60 वर्ष से काबिज हैं इस बाबत कभी भी नारायन सिंह एवं प्रतिवादी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 ने कोई आपत्ति नहीं रही। अतः वादीगण रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 06 को हाल खसरा नम्बर 2613 के 0.21 है0 पर 60 वर्ष पुराने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वतः ही अधिकार खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का कोई नियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा डिक्री करने में कानूनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भूल की है। हाल बंदोबस्ती खसरा नम्बर 2613 रकवा 0.31 साविक बंदोबस्ती नम्बर 2881 व 2882 से बना है जो कि साविक व हाल नम्बरान अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जे के हैं। रैस्पो0 का उक्त खसरा नम्बरना साविक व हाल से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है एवं ना ही रैस्पो0 का उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग से हटकर निर्णय में यह अंकित करते हुये कि मीना जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होगें जबकि रैस्पो0 का ना तो यह केस है ना ही रिलीफ ही चाही गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने अपने दावे को साबित करने के लिये कोई पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ना ही निष्पक्ष गवाह ही पेश किये हैं। हाल खसरा नम्बर 2613 को गत खसरा नम्बर 2880 से बनना स्पष्ट प्रमाणित है ऐसा निर्णय में अंकित किया है जबकि वादी रैस्पो0 अपने दावा में अपना प्रतिकूल कब्जा मानते हुये डिक्री चाह रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने किस पैमाने से हाल खसरा नम्बर 2613 को साविक खसरा नम्बर 2880 से बनना माना है यह अंकित नहीं किया है। जबकि साविक नम्बर 2880 से मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 2609 व 2611 से हाल नम्बर बने हैं जो रैस्पो0 की खातेदारी में दर्ज है। जबकि हाल खसरा नम्बर 2613 साविक खसरा नम्बर 2881 व 2882 से बने हैं तथा हाल खसरा नम्बर 2613 पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को 10 एयर रकवा को बेचने से पाबन्द किया है जबकि बिना विभाजन कराये रैस्पो0 के 0.21 एयर को बेचने के लिये खुला छोड दिया है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में आरबीजे 2021 पेज 476, 271 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप, तनकीवार तार्किक है। प्रकरण में खसरा नम्बर 2613 किस साविक नम्बर से बना देखा जाना है। गत व हाल नक्शा अक्स के मिलान करने पर मौका अनुसार हाल खसरा नम्बर 2613/0.31 गत खसरा नम्बर 2880/1–06 से बनना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय की निष्कर्ष एक दम स्पष्ट है मिलान करने पर मौका अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया है ना कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, नक्शा हाल व गत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। 0.10 है0 अपीलाण्ट का है, जब तक विभाजन ना हो जाये तब तक के लिये विक्रय नहीं करने पर पाबन्द किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु आठ तनकीयात कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. तनकी संख्या 01– "आया वादी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन कराकर स्वयं को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी हैं" अधीनस्थ न्यायालय इस तनकी को गत व हाल नक्शा अक्स के मिलान करने पर मौका अनुसार हाल खसरा नम्बर 2613/0.31 को गत खसरा नम्बर 2880/1–06 से बना हुआ, मात्र कयासो के आधार पर बताया है। जबकि मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2613 गत खसरा नम्बर 2881 व 2882 से बना है जो कि साविक व हाल नम्बर अपीलाण्ट की खातेदारी के हैं। रैस्पो० ने विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे हैं। परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट के न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। इसके अलावा रैस्पो० ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में विवादित आराजी पर अपने कब्जे को भी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को तय करते समय दावे के अभिवचन से बाहर जाकर निर्णित की गयी है। अतः तनकी स्थिर रहने योग्य नहीं है। तनकी वहक अपीलाण्ट विरूद्ध रैस्पो० तय की जाती है।

7. तनकी संख्या 2– इस तनकी के निष्कर्ष बाबत् हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। वयनामा निरस्ती का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

8. तनकी संख्या 3– चूंकि तनकी संख्या 01 वहक अपीलाण्ट तय हुयी हैं। अतः वादी रैस्पो० को कोई अधिकार नहीं हैं कि वह प्रतिवादी अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा सकें। तनकी वहक प्रतिवादी अपीलाण्ट विरूद्ध रैस्पो० तय की जाती है।

9. तनकी संख्या 4– हाल खसरा नम्बर 2613/0.31 है० के 0.21 है० पर ना तो रैस्पो० खातेदार हैं एवं ना ही उनका कब्जा है। जैसा की तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है। अतः वादग्रस्त आराजी के 0.21 है० से रैस्पो० का कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का नहीं पाया गया है। तनकी वहक अपीलाण्ट विरूद्ध रैस्पो० तय की जाती है।

10. तनकी संख्या 5 – वादग्रस्त आराजी पर रैस्पो० का कब्जा काश्त किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। उनके द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

चाहे गयें हैं, जो नियम एवं न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में दिया जाना संभव नहीं है। तनकी वहक अपीलाण्ट विरूद्ध रैस्पो0 निर्णित की जाती है।

11. तनकी संख्या 6– विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

12. तनकी संख्या 7– विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

13. तनकी संख्या 8– विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

14. अनुतोष– समस्त तनकीयात का निस्तारण हो चुका है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2613 गत खसरा नम्बर 2881 व 2882 से बना है जो कि साविक व हाल नम्बर अपीलाण्ट की खातेदारी के हैं। रैस्पो0 ने विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे हैं। परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

15. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2016 अपास्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

16. निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25-01-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर